(2)

पत्रांक :–1/यो.1–25/2016 (उ0शि0) अंश 393/बजट

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

रामनिवास यादव (भा0प्र0से0),
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, रॉंची।

रॉंची, दिनांक 26/02/2024

विषयः– **कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत जगरनाथपुर, विधानसभा क्षेत्र में डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु रू0 15,76,99,600/– (पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार छः सौ) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू0 3,42,65,000/– (तीन करोड़ बयालीस लाख पैसठ हजार रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 387/बजट दिनांक 21.02.2024 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023–24 में कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत जगरनाथपुर, विधानसभा क्षेत्र में डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु रू0 15,76,99,600/– (पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार छः सौ) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू0 3,42,65,000/– (तीन करोड़ बयालीस लाख पैसठ हजार रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2023–24 के राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष – "मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03– विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष– BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, 01– उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान,78–पूॅंजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड– 21S220203796BP010678) (स्कीम कोड–2104) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉंची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉंची से राशि की निकासी कर Book Transfer,बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

4. कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के कुलसचिव द्वारायोजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत चाईबासा कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉंची को उपलब्ध करायेंगे।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. स्वीकृत्यादेश संख्या 387/बजट दिनांक 21.02.2024 की अन्य शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

23/2/24

(रामनिवास यादव)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

E:\G Drive\2023-24\2023-24\Awantan 2023-24.docx

ज्ञापांक–1/यो.1–25/2016 (उ0शि0) अंश 393/क्षम्८ /राँची, दिनांक– 26/02/2024

प्रतिलिपि –महालेखाकार का कार्यालय, हिनू, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रामनिवास यादव)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–1/यो.1–25/2016 (उ0शि0) अंश 393/क्षम्८ /राँची, दिनांक– 26/02/2024

प्रतिलिपि –विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा / लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा–सह–नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रामनिवास यादव)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वितीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 1/YO1-25/2016P/393/BUDGET दिनांक - 26-Feb-2024

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796BP010678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना BP - उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान 01-उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास,आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान। 06 - अनुदान **State Scheme**	88046	DRNEDN046 SRI ARUN KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 78 - पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान	34,265,000.00 रुपये तीन करोड बयालीस लाख पैसठ हजार

State Scheme : GRANT-IN-AID FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT, MODERNIZATION AND FURNISHING OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS(2104)

Centeral Scheme :

योग: रुपये तीन करोड बयालीस लाख पैसठ हजार 34,265,000.00

क्रमिक योग:

26/2/24

(RAMNIWAS YADAV)

DIRECTOR

117.233.181.117

Run Date: 26/2/2024